संचिका क्र. ९९९/१७/१५-१६

जा. क्र./ नांवाशमनपा / नरवि / 123
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड
दिनांक: 30/04/2016

प्रति,
मा.जिल्हाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय,
नांदेड,

**विषय:-** मौ. असरजन, गट नं ९७ (पैकी), ७३ क्षेत्र १९६०० चौ.मी. इतक्या जमिनीची रहिवास प्रयोजनासाठी अंतिम अभिन्यास परवानगी मिळणे बाबत.

**संदर्भ :-** १. यापूर्वीचा अभिन्यास परवाना क्र १२८७/ दि २४.०२.१४
२. आपला सुधारित प्रस्ताव क्र ९९९/१७/१५-१६ दि ०१.०१.१६
३. आपला अंतिम अभिन्यास परवानगी मिळणे बाबत अर्ज दि २८.०३.१६

महोदय,

मौ. असरजन, गट नं ९७ (पैकी), ७३ क्षेत्र १९६०० चौ.मी. ज्यात वापरा योग्य भुखंडाचे क्षेत्र १२२५९.८० चौ.मी. जमिनीची रहिवास प्रयोजनासाठी दाखल रेखांकनास उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये तात्पुरती अभिन्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या पत्रान्वये खालिल अटीवर अंतिम अभिन्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

१. सर्व भुखंडाचा वापर रहिवास कारणास्तव करण्यात यावा. अन्य कोणताही वापर महानगरपालिकेची पुर्व परवानगी घेतल्याशिवाय करु नये.
२. रेखांकनामधील प्रत्येक स्वतंत्र भुखंडाचे क्षेत्र २५० चौ.मी.पेक्षा कमी असु नये व सेमी डिटॅच भुखंडाचे क्षेत्र १२५ चौ.मी.पेक्षा कमी असु नये.भुखंडाच्या हद्दीचे दगड हलविण्यात येवू नये.
३. मंजुर केलेल्या रेखांकनातील कोणत्याही भुखंडाची पुन्हा पोट विभागणी किंवा एकत्रिकरण करावयाचे झाल्यास महानगरपालिकेची पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
४. रेखांकन मधील खूली जागा विकास नियंत्रण नियमावलीस अधिन राहुन कायमची खुली राहिल.
५. Open Space व रस्त्याचे खरेदी खत तयार करुन देणे बंधनकारक राहिल.
६. भुखंडामध्ये बांधकाम नियमाप्रमाणे या कार्यालयाची परवानगी घेऊन करण्यात यावे. तसेच करण्यात येणारे बांधकाम उपविधी (बिल्डींग बाय लॉज ) व विकास नियंत्रण नियमावली (डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल) च्या अनुषंगाने करावे लागेल.
७. भविष्यात रहदारीच्या दृष्टीकोनातुन आणखी रस्ता रुंदीसाठी जागेची गरज भासल्यास ती भुमिसंपादन कायदा आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदी नुसार संपादन करण्यांत येईल.
८. विकास कामे करण्यापुर्वी/भुखंडावर बांधकाम परवानगी रेखांकनाच्या जागेचे सपाटीकरण करुन द्यावे लागेल.
९. भुखंडातुन महानगरपालिकेच्या मालकीची जल वाहिनी किंवा भुमिगत गटार गेलेली असेल तर ते स्वखर्चाने स्थलांतर करुन घ्यावी लागेल.अशा जलवाहिनी भुमिगत गटारावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नाही.
१०. नैसर्गिकरित्या वाहणारा पाण्याचा प्रवाह जर भुखंडातुन जात असेल तर भुखंडाच्या एका बाजुने भुमिगत पाईप लाईन, गटारासाठी मार्ग मोकळा करुन द्यावा लागेल त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा मोबदला दिला जाणार नाही. हे काम महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाचे मार्गदर्शनानुसार करावे लागेल.
११. सदर रेखांकनात महानगरपालिकेची सदर भागातील पाणी पुरवठा व जलनि:सारण योजना पुर्ण झाल्या खेरीज सदर भुखंडाना पाणी पुरवठा व जलनि:सारणाची व्यवस्था करण्यात येणार नाही.

१२. मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडुन महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ अन्वये अकृषिक वापराचा परवाना बांधकाम परवानगी घेण्यापुर्वी सादर करावा लागेल.

१३. यापुर्वी दिलेली तात्पुरत्या स्वरूपात दिलेला अभिन्यास पत्र क्र. ९०२ दि २९.०२.१६ च्या अधिन राहून सदर अंतिम मंजूरी देण्यात येते.

१४. विषयांकित अभिन्यास हा तात्पुरत्या स्वरुपात प्रारुप वाढिव क्षेत्र विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना नियम १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिध्दीस अधिन राहुन मंजुर करण्यात येत आहे. प्रारुप विकास योजना मध्ये बद्दल झाल्यास ते पाळणे आपणावर बंधनकारक आहे.

१५. तथापी उक्त आदेशात काहीही नमुद असलेतरी स्थळावर या बदला कारणाने काही वाद उत्पन्न झाल्यास /अथवा प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यास मोजणीनंतर भुखंडाचे मोजमापात बदल घडुन आल्यास त्या अनुषंगाने मान्यतेचा पुर्वलक्षी प्रभावाने पुर्वविचार करण्यात येईल व अशा परिस्थीतीत कार्यालयाचा झालेला निर्णय अंतिम राहिल, याची नोंद घ्यावी.

१६. विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र ६३ अन्वये जागेवर Road, Strom Water, Drain Sewer Water, main Street Light ईतर विकास करण्यासाठी या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र ७७१७ दि १९.०७.१४ मधील अटी बंधनकारक राहतील. सदर परिपत्रकानुसार जागेवर उक्त विकास करणेसाठी पाच वर्षाची मुदत देण्यात येते.

आयुक्त,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड

**प्रतिलिपी माहितीस्तव व पुढील आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव.**

१. सहाय्यक संचालक नगर रचना शाखा कार्यालय, नांदेड

२. उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख नांदेड यांना अभिन्यासातील अनुक्रमांक ३ ते ४ अन्वये तसेच मा. जमाबंदी यांच्या परिपत्रकाप्रमाणे आवश्यक त्या पुढील कार्यवाहीसाठी.

३. मालमत्ता व्यवस्थापक, महानगरपालिका, नांदेड यांना योग्य त्या कार्यवाहीस्तव.

४. सहायक आयुक्त, क्षेत्रिय कार्यालय क्र डी, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड

५. मे. जि.व्ही.सी. डेव्हलपर्स चे भागीदार ,श्री. गंगाप्रसाद रामेश्वरजी तोष्णीवाल,श्री. दुर्गाप्रसाद रामेश्वरजी तोष्णीवाल, सौ. संगीता गंगाप्रसाद तोष्णीवाल,सौ. उमा भ्र. दुर्गाप्रसाद तोष्णीवाल

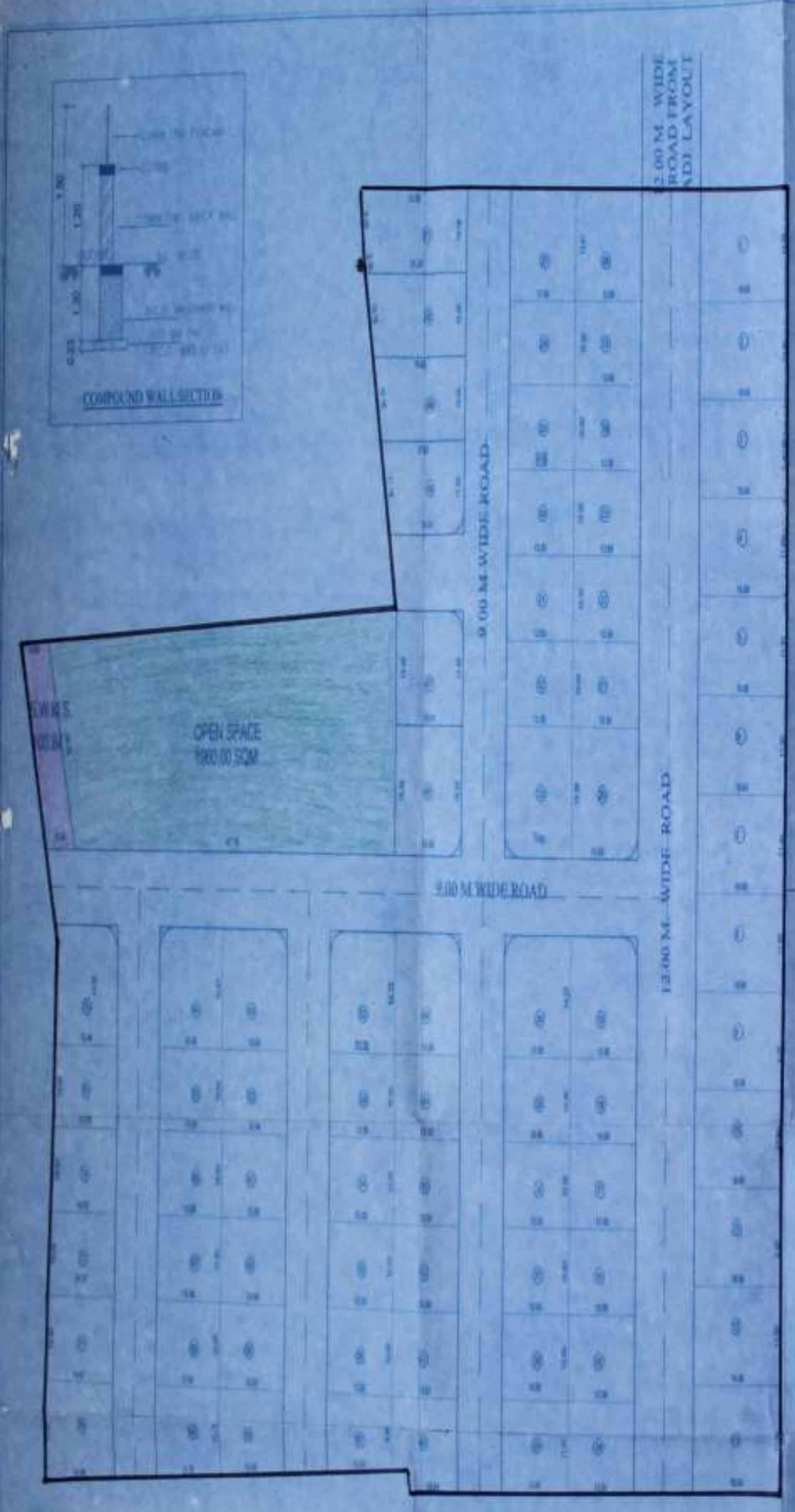


LAYOUT PLAN

SCALE :- 1:500

| PLOT NOS | PLOT AREA IN SQM | TANGENT AREA IN SQM | NO OF PLOTS | TOTAL AREA IN SQM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.49 | | 1 | 243.49 |
| 2to12 | 207.00 | | 11 | 2277.00 |
| 13 | 235.74 | | 1 | 235.74 |
| 14 | 153.49 | | 1 | 153.49 |
| 15to18 | 135.00 | | 4 | 540.00 |
| 19 | 192.61 | 1.93 | 1 | 190.68 |
| 20 | 206.24 | 1.93 | 1 | 204.31 |
| 21to25 | 135.00 | | 5 | 675 |
| 26 | 183.51 | | 1 | 183.51 |
| 27 | 184.07 | | 1 | 184.07 |
| 28to32 | 135.00 | | 5 | 675 |
| 33 | 206.24 | 1.93 | 1 | 204.31 |
| 34 | 192.61 | 1.93 | 1 | 190.68 |
| 35to38 | 135.00 | | 4 | 540 |
| 39 | 155.44 | | 1 | 155.44 |
| 40 | 148.50 | | 1 | 148.5 |
| 41to44 | 135.00 | | 4 | 540 |
| 45 | 192.61 | 1.93 | 1 | 190.68 |
| 46 | 211.28 | 1.93 | 1 | 209.35 |
| 47 | 188.06 | 1.93 | 1 | 186.13 |
| 48 | 182.71 | 1.93 | 1 | 180.78 |
| 49 | 185.19 | | 1 | 185.19 |
| 50 | 203.36 | | 1 | 203.36 |
| 51 | 224.40 | | 1 | 224.4 |
| 52 | 192.61 | 1.93 | 1 | 190.68 |
| 53to56 | 135.00 | | 4 | 540 |
| 57 | 125.60 | | 1 | 125.6 |
| 58 | 140.89 | | 1 | 140.89 |
| 59to62 | 135.00 | | 4 | 540 |
| 63 | 192.61 | 1.93 | 1 | 190.68 |
| 64 | 192.61 | 1.93 | 1 | 190.68 |
| 65to68 | 135.00 | | 4 | 540 |
| 69 | 150.07 | | 1 | 150.07 |
| 70 | 181.69 | | 1 | 181.69 |
| 71 | 144.59 | | 1 | 144.59 |
| 72 | 141.69 | | 1 | 141.69 |
| 73 | 136.78 | | 1 | 136.78 |
| 74 | 135.87 | | 1 | 135.87 |
| 75 | 189.36 | 1.93 | 1 | 187.43 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL AREA | | | | 12759.80 |

STAMP OF APPROVAL 01/01

DRAWING LAYOUT PLAN

Sanctioned Under Permit No. 1-3 Date 30/06/2016

File No. 999/17/15-16

As Amended ...

Commissioner

Nanded Waghala City Municipal Corporation, Nanded

DEMARCATED LAYOUT

Project Architects